# न्यायालय सत्र न्यायाधीश, बुलन्दशहर

**जमानत प्रार्थनापत्र संख्याः 3171 सन् 2026**

अजहरूद्दीन उर्फ अजहर पुत्र मुबारक, निवासी मोहल्ला कुरैशियान, कस्बा व थाना चण्डौस, जिला अलीगढ़ ..... आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य ..... अभियोजन पक्ष।

मुकदमा अपराध संख्याः 98 सन् 2026,
अन्तर्गत धाराः 123 व 303/2 बी.एन.एस.
थानाः अरनियॉ, जिला बुलन्दशहर।

**निस्तारण जमानत प्रार्थनापत्र**

**01.** यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र आवेदक/अभियुक्त उपरोक्त की ओर से मय शपथपत्र उपरोक्त प्रकरण में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है। आवेदक/अभियुक्त उक्त प्रकरण में न्यायिक अभिरक्षा में हैं।

**02.** आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ0) के तर्कों को सुना एवं उपलब्ध प्रपत्रों का सम्यक् परिशीलन किया।

**03.** प्रथम सूचना रिपोर्ट के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी मुकदमा अशोक पुत्र नन्ने ने थाना हाजा पर सूचना दी कि दिनांक 11.04.2026 को वादी काले आम चौराहे बुलन्दशहर पर था, तो वादी का ई–रिक्शा संख्या यू.पी.13ई.टी3858 को एक व्यक्ति काले आम चौराहे पर रूकवाया और कहा कि उसके भाई की दुर्घटना हो गयी है और उसकी सरकारी अस्पताल मुनि से लेकर आने की बात अंकन 750 रूपये में हुई थी और वह व्यक्ति वादी को सरकारी अस्पताल मुनि पर लेकर आया, वहां 02 कोल्डड्रिंक लेकर आया और वादी को पिलाई और स्वयं पी, जिससे वादी को नसाा हो गया और फिर वह अज्ञात व्यक्ति वादी के ई–रिक्शा को लेकर चला गया, जो अभी तक नहीं मिला है। अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित हुई।

**04.** आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थनापत्र में दिये गये आधारों को दोहराते हुए मुख्यतः कथन किया है कि आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है, उसे झूंठा फसाया गया है। आवेदक/अभियुक्त ने कोई अपराध नहीं किया है, उसे झूठा फंसाया है। आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध कोई स्वतन्त्र व निष्पक्ष साक्ष्य नहीं है। प्राथमिकी विलम्ब से दर्ज कराई गई है। आवेदक/अभियुक्त से कोई बरामदगी नहीं है। आवेदक/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। इन कथनों के आधारों पर जमानत की याचना की गई है।

**05.** विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा प्राथमिकी में वर्णित कथनों पर बल देते हुए जमानत प्रार्थनापत्र का प्रबल विरोध करते हुए कथन किया गया है कि अभियुक्त की अपराध में संलिप्तता है। प्रकरण में विवेचना प्रचलित है। इन कथनों के आधार पर जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की है।

**06.** अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

**07.** अभियोजन के अनुसार आवेदक/अभियुक्त पर वादी मुकदमा को कोल्डड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर उसका ई–रिक्शा संख्या यू.पी.13 ई.टी 3858 सरकारी अस्पताल मुनि से चोरी करने तथा बरामद करने का आरोप अभिकथित है।

प्रकरण की प्राथमिकी में आवेदक/अभियुक्त नामित नहीं है। कथित बरामदगी का कोई जन साक्षी दर्शित नहीं है। अभियोजन की ओर से आवेदक/अभियुक्त का पूर्व का

Digitally signed by SANJAY SINGH
Date: 2026.06.29 18:09:35 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त दिनांक 03.06.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। विचारण में समय लगने की सम्भावना है।

अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, गुण दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है। तद्नुसार आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

**आदेश**

आवेदक/अभियुक्त उपरोक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा अंकन 30,000/–रूपये (तीस हजार रूपये) का व्यक्तिगत बन्ध पत्र एवं समान राशि के दो प्रतिभू, सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि में निष्पादित करने पर दौरान विचारण निम्न शर्तो के अधीन उसे जमानत पर मुक्त किया जाए:–

1. आवेदक/अभियुक्त जमानत पर छूटने के बाद पुनः कोई अपराध कारित नहीं करेगा।
2. आवेदक/अभियुक्त के आधार कार्ड या स्थाई निवास प्रमाणपत्र की सत्यप्रति दाखिल की जायेगी।
3. आवेदक जमानत पर रिहा होने के उपरान्त प्रत्येक माह के दसवें कार्य दिवस को सम्बन्धित न्यायालय में हाजिर होकर आरोपपत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करेगा और आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित होने पर अविलम्ब आरोपपत्र की प्रति प्राप्त करना सुनिश्चित करेगा, जिससे प्रकरण का शीघ्र निस्तारण किया जा सकेगा।
4. आवेदक/अभियुक्त जमानत पर रिहा होने के बाद आरोप विरचित किये जाने के समय, साक्ष्य अभिलिखित किये जाने के समय व बी.एन.एस.एस. की धारा 351 के कथनों को अंकित किये जाने के समय कोई स्थगन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नहीं करेगा तथा आरोप विरचित किये जाने के समय व बी.एन.एस.एस. की धारा 351 के कथनों के समय व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा तथा शेष अन्य तिथियों पर नियमित रूप से व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा और उसके बिना किसी यथोचित कारण के अनुपस्थित रहने पर विचारण न्यायालय उसके विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र होगा।
5. आवेदक/अभियुक्त विचारण के शीघ्र निस्तारण में पूर्ण सहयोग करेगा।

उपरोक्त शर्तो का उल्लंघन किये जाने पर सक्षम न्यायालय आवेदक/अभियुक्त की जमानत निरस्त किये जाने हेतु स्वतन्त्र होगा।

**(संजय सिंह–I)**
सत्र न्यायाधीश,
बुलन्दशहर।

दिनांक : 29.06.2026
सत्यप्रकाश सक्सैना–पी0ए0.

आई0डी0 कमांक–यू0पी0–2015